अध्याय-3 परियोजना कार्यान्वयन

3.1 लक्ष्य एवं उपलब्धियां

3.1.1 उपलब्धियों में कमी

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.), सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा विद्यालयों एवं आंगनबाड़ियों में शौचालयों के माध्यम से सभी को शौचालयों तक पहुँच प्रदान करके तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर केन्द्रित सामुदायिक प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणाली विकसित करके ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज को त्वरित करने का लक्ष्य रखते हैं। इन संघटकों के अंतर्गत 2009-10 से 2013-14 के दौरान निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियॉ नीचे तालिका 3.1 में दी गई है:

तालिका-3.1: लक्ष्यों तथा उपलब्धियों के विवरण

(लाख में)

संघटक	वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि में कमी	*प्रतिशत कमी*
व्य.घ.शौ.-ग.रे.नी.	2009-14	426.32	222.32	204.00	47.85
व्य.घ.शौ.-ग.रे.उ.	2009-14	469.76	207.55	262.21	55.82
सा.स्व.प.	2009-14	0.42	0.12	0.30	71.43
विद्यालय शौचालय	2009-14	9.28	4.87	4.41	47.52
आंगनबाड़ी शौचालय	2009-14	4.59	2.04	2.55	55.55
ठो.त.अ.प्रं.	2009-14	उ.न	0.20	उ.न.	उ.न.

[स्रोत: पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

उपरोक्त विवरणों से यह देखा जा सकता है कि व्य.घ.शौ. की उपलब्धि में 48 से 56 प्रतिशत की कमी थी। सा.स्व.प., विद्यालयी शौचालयों तथा आंगनबाड़ी शौचालयों के मामले में कमी लक्ष्यों के प्रति क्रमश: 71, 48 तथा 56 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा में शामिल किसी भी वर्ष में ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं हेतु कोई लक्ष्य नियत नहीं किए गए थे; इसलिए उपलब्धियों की लक्ष्यों के साथ तुलना नहीं की जा सकी (उपरोक्त आंकड़ों का ब्यौरा **अनुबंध 3.1** में दिया गया है)

मंत्रालय ने बताया कि वास्तव में उपलब्ध हो सकने वाली निधियों का संदर्भ लिये बिना वित्तीय वर्ष के दौरान निर्माण किये जा सकने वाले शौचालयों का प्रक्षेपण करके राज्यों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का आरंभ होने से पूर्व ही वा.का.यो. तैयार कर ली जाती थीं। इसके अतिरिक्त, योजना के एक मांग संचालित कार्यक्रम होने के कारण मंत्रालय ने राज्यों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्यों पर कोई सीमा नहीं रखी और इसप्रकार प्रस्तावित लक्ष्य उपलब्ध निधियों के साथ किये जा सकने वाले लक्ष्यों में काफी अधिक थे। तथापि, मंत्रालय ने स्वीकार किया कि मूलभूत स्तर पर अपर्याप्त कार्यान्वयन क्षमताएं कम उपलब्धि का कारण हो सकती हैं।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा का मानना है कि मंत्रालय को राज्यों के निष्पादन तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर उनकी मांग के अनरूप लक्ष्यों को व्यावहारिक स्तरों पर सीमित करना चाहिए जिससे कि कार्यान्वयन की उपयुक्त निगरानी की जा सके।

3.1.2 अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धि

जनगणना 2011(फरवरी 2011) के अनुसार, 514.64 लाख ग्रामीण परिवारों के पास परिसर के भीतर शौचालय सुविधा थी, परन्तु मंत्रालय में अभिलेखों के अनुसार, से.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत फरवरी 2011 तक ग्रामीण परिवारों में 768.07 लाख शौचालयों का निर्माण हो चुका था। यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों में वै.पा.शौ. आंकड़ों में बड़ी भिन्नताएं थीं तथा निम्नलिखित 16 राज्यों में मंत्रालय ने जनगणना 2011 के आंकड़ों की तुलना में उपलब्धि को अधिक बताया था:

तालिका-3.2: जनगणना 2011 की तुलना में बढ़ायी गई उपलब्धि के विवरण

क्र.सं.	राज्य	जनगणना 2011	मंत्रालय	आधिक्य	*जनगणना 2011 की तुलना में प्रतिशत आधिक्य*
		परिसर के भीतर शौचालय सुविधा वाले परिवार	02/2011 तक निर्मित वै.पा.शौ.		
1	आन्ध्र प्रदेश	45,85,620	72,35,242	26,49,622	57.78
2	छत्तीसगढ़	6,36,991	17,98,136	11,61,145	182.29
3	गुजरात	22,35,623	40,36,449	18,00,826	80.55
4	हरियाणा	16,63,159	19,04,459	2,41,300	14.51
5	हिमाचल प्रदेश	8,72,545	9,89,600	1,17,055	13.42
6	झारखण्ड	3,57,289	15,24,722	11,67,433	326.75
7	कर्नाटक	22,34,534	36,54,793	14,20,259	63.56
8	मध्य प्रदेश	14,59,201	54,98,678	40,39,477	276.83
9	महाराष्ट्र	49,46,854	63,99,597	1452,743	29.37
10	ओडिशा	11,46,552	34,25,625	22,79,073	198.78
11	राजस्थान	18,64,447	34,70,005	16,05,558	86.11
12	सिक्किम	77,694	94,600	16,906	21.76
13	तमिलनाडु	22,20,793	64,26,175	42,05,382	189.36
14	त्रिपुरा	4,95,053	5,69,354	74,301	15.01
15	उत्तर प्रदेश	55,45,881	1,51,07,255	95,61,374	172.40
16	पश्चिम बंगाल	64,11,152	72,57,522	8,46,370	13.20
	कुल	**3,67,53,388**	**6,93,92,212**	**3,26,38,824**	**88.80**

[स्रोत: पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय 2011]

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि परिसरों के भीतर शौचालय सुविधाओं वाले 367.53 लाख परिवारों के प्रति मंत्रालय ने उपलब्धि को 326.39 लाख द्वारा बढ़ाया तथा फरवरी 2011 तक 693.92 लाख वै.पा.शौ. की उपलब्धि को दर्शाया। यह अंतर आगे और बढ़ सकता है क्योंकि जनगणना 2011 ने उन पारिवारिक शौचालयों को शामिल किया होगा जिनका निर्माण नि.भा.अ./सं.स्व.अ. योजना के अंतर्गत नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, सिक्किम में जनगणना 2011 के अनुसार कुल 92,370 परिवारों के प्रति मंत्रालय द्वारा 94,600 वै.पा.शौ. अर्थात् कुल परिवारों से अधिक, का निर्माण बताया गया।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि उपलब्धि में अंतर संभवत: राज्यों द्वारा अधिक नि.ग्रा.पु. पुरस्कार प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ सीमा तक अधिक बताए जाने (विशेष रूप से ग.रे.उ. के शौचालयों में), व्यवहार में बदलाव में कमी के कारण कुछ शौचालयों का उपयोग न करने/बेकार होने, खराब निर्माण गुणवत्ता आदि तथा शौचालयों की गणना की पद्धति में अंतर के कारण था।

3.1.3 योजना के अंतर्गत 22 जिलों को शामिल न करना

सं.स्व.अ. को 01 अप्रैल 2012 से नाम बदल कर नि.भा.अ. कर दिया गया था। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता विस्तार को त्वरित करना था जिससे कि संतृप्ति दृष्टिकोण के साथ सं.स्व.अ. के मांग संचालित दृष्टिकोण के अनुपूरण से ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल किया जा सके। नि.भा.अ. में निर्मल ग्राम पंचायतों का

सृजन करने की दृष्टि से संतृप्त परिणामों हेतु समग्र समुदाय को शामिल करने की परिकल्पना की गई है। परन्तु यह पाया गया कि नि.भा.अ. को 12 राज्यों/सं.शा.क्षे. के 22 जिलों में कार्यान्वित नहीं किया गया था जैसा नीचे **तालिका-3.3** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.3: जिले जहां नि.भा.अ. योजना कार्यान्वित नहीं की गयी थी

क. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिलों की संख्या	क्र. सं.	राज्य/सं.शा.क्षे. का नाम	जिलों की संख्या
1.	अं.एवं नि. द्वीपसमूह	3	7.	लक्षद्वीप	1
2.	चंडीगढ़	1	8.	पुदुचेरी	1
3.	दमन एवं दीव	2	9.	पंजाब	1
4.	दिल्ली	7	10.	राजस्थान	1
5.	गुजरात	1	11.	उत्तर प्रदेश	1
6.	कर्नाटक	1	12.	तमिलनाडु	2
				कुल	**22**

[स्रोत: मंत्रालय की स.प्र. सू.प्र. से प्राप्त डाटा]

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को परियोजना जिलों में सभी ग्रा.पं. में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था तथा कुछ ग्रा.पं., जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को कार्यान्वित किया गया था, को वर्ष 2009-14 के दौरान राज्यों/सं.शा.क्षे. की परियोजना वा.का.यो. में समेकित नहीं किया गया था जैसा नीचे तालिका-3.4 में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.4: उन ग्रा.पं. के ब्यौरे जहॉ योजना कार्यान्वित नहीं की गई थी

वर्ष	परियोजना जिलों में कुल ग्रा.पं.	ग्रा.पं. जहॉ सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को कार्यान्वित नहीं किया गया था	वा.का.यो. में समेकित न की गई ग्रा.पं.
2009-10	2,54,163	33,815	351
2010-11	2,54,163	33,803	12
2011-12	2,54,163	33,732	83
2012-13	2,54,163	33,815	शून्य
2013-14	2,54,163	33,815	शून्य

[स्रोत:पेय जल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इस प्रकार, परियोजना जिलों में 2.54 लाख ग्रा.पं. में से योजना को 0.34 लाख ग्रा.पं. में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

मंत्रालय को यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि कुछ जिलों/ग्रा.पं. में योजना के गैर-कार्यान्वयन का योजना के समग्र उद्देश्यों पर सीधा प्रभाव पड़ता है जिससे ग्रामीण समुदाय को व्यापक रूप से शामिल करने का मुख्य उद्देश्य विफल होता है।

मंत्रालय ने बताया कि सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को परियोजना जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों की सभी ग्रा.पं. में कार्यान्वित किया जा रहा था तथा यह शहरी जिलों में कार्यात्मक नहीं था। इसके अतिरिक्त, कुछ सं.शा.क्षे. में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. हेतु कोई मांग नहीं थी क्योंकि उनके स्वयं के स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे थे जिनमे बेहतर प्रोत्साहन प्रदान दिए जा रहे थे।

मंत्रालय के उत्तर को मंत्रालय की स.प्र.सू.प्र. पर उपलब्ध सूचना के परिप्रेष्य में देखा जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि योजना को ग्रामीण जनसंख्या वाले 22 जिलों में कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था।

3.2 परियोजना कार्यान्वयन

3.2.1 व्यक्तिगत घरेलू शौचघर (व्य.घ.शौ.)

उपरोक्त संघटक का लक्ष्य प्रत्येक परिवार में एक अधिरचना सहित एक स्वच्छ शौचालय के निर्माण हेतु प्रोत्साहन प्रदान करके सभी ग्रामीण परिवारों को शामिल करना है। प्रोत्साहन सभी ग.रे.नी परिवारों तक सीमित है तथा अ.ज./अ.ज.जा. ग.रे.उ. के परिवार छोटे एवं मझोले किसानों, वासभूमि वाले भूमिहीन मजदूरों, शारीरिक रूप से अपंग तथा महिला मुखिया वाले परिवारों को दिया जाना है। घरेलू शौचालयो के निर्माण का जिम्मा स्वयं परिवार द्वारा उठाया जाना चाहिए तथा शौचालयो की निर्माण समाप्ति तथा उपयोग पर परिवार को प्रोत्साहन दिया जाना है। राज्यों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान वै.पा.शौ. हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने में विभिन्न अनियमितताएं पाई गईं जैसा आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

3.2.1.1 अप्रचलित शौचघर

संपूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु यह अनिवार्य है कि योजना के अंतर्गत निर्मित शौचालयों का उपयुक्त रूप से अनुरक्षण किया जायें ताकि वे लाभार्थी के उपयोग हेतु क्रियात्मक रह सकें। तथापि, मंत्रालय द्वारा कराए गए आधार रेखा सर्वेक्षण 2012 के अनुसार, व्यक्तिगत

परिवारों में कुल ₹7.05 करोड़ शौचालयों में से, करीबन ₹1.45 करोड़ (20.54 प्रतिशत) शौचालय निष्क्रिय थे (राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध 3.2** में)। इस तथ्य का आठ राज्यों के नमूना जांच किए गए 53 जिलों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान पुष्टि हुई, जहाँ निष्क्रिय शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत (कुल ₹71.86 लाख परिवारों में 24.03 लाख) से अधिक पाया गया था,) अप्रचलित निष्क्रिय शौचालयों की ऐसे उच्च अनुपात के कारण निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण संरचना, गैर-अनुरक्षण, आदि थे जैसा नीचे **तालिका 3.5** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.5: निष्क्रिय/गैर-क्रियात्मक वै.घ.शौ.

क्र. सं.	राज्य	जिला	कुल व्य.घ.शौ.	निष्क्रिय इकाई	अभ्युक्तियाँ
1.	अरूणाचल प्रदेश	4	22495	7191	इन इकाईयों का जीवनकाल समाप्त हो गया था।
2.	बिहार	10	1284309	472011	निर्माण की खराब गुणवत्ता
3.	गुजरात	2	2055	2055	निम्न गुणवत्ता एवं अपूर्ण निर्माण, शोष गर्तों का गैर-निर्माण आदि
4.	जम्मू एवं कश्मीर	5	118124	9719	कारण नहीं बताए गए थे।
5.	झारखण्ड	6	430158	284478	बहते पानी की अनुपलब्धता, गैर अनुरक्षण, जागरुकता की कमी, आंशिक निर्माण, भारी वर्षा, तूफान आदि के कारण अधिरचना का ढहना।
6.	तमिलनाडु	7	2580635	374919	अनुपयुक्त अधिरचना
7.	उत्तराखण्ड	4	448000	35000	कारण नहीं बताए गए थे।
8.	उत्तर प्रदेश	15	2300454	1218121	लाभार्थियों द्वारा अनुपयुक्त बिना अनुरक्षण के रहे।
	कुल	**53**	**7186230**	**2403494**	

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

इसके अतिरिक्त, सात राज्यों में 5527 परिवारों के संयुक्त भौतिक सत्यापन/लाभार्थी सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि 3050 परिवारों (55 प्रतिशत) में शौचालय या तो निष्क्रिय थे या अपूर्ण पड़े थे, अत: लाभार्थी द्वारा उपयोग में नहीं लाये जा रहे थे। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.6** में दिए गए हैं:

तालिका-3.6: लाभार्थी सर्वेक्षण: अप्रचलित/गैर-क्रियात्मक वै.पा.शौ.

क्र.स.	राज्य	कुल व्य.घ.शौ.	निष्क्रिय इकाईयां	*प्रतिशत*
1.	असम	330	63	19.09
2.	बिहार	1263	593	46.95
3.	छत्तीसगढ	1024	852	83.20
4.	गुजरात	190	128	67.37
5.	झारखण्ड	1115	704	63.14
6.	राजस्थान	1205	519	43.07
7.	त्रिपुरा	400	191	47.75
	कुल	**5527**	**3050**	**55.18**

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

रोगपोरी ग्रा.पं., तिनसूकई, असम में बाहरी ढाँचे के बिना शौचालय

चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश की पैडापलेम ग्रा.पं. में उपयोग में नहीं लाया गया शौचालय

आधार रेखा सर्वेक्षण 2012 के दौरान तथा लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई निष्क्रिय शौचालयों की समस्या ग्रामीण स्वच्छता हेतु एक गम्भीर

समस्या उत्पन्न करती है। निष्क्रिय शौचालयों की उच्च संख्या सं.स्व.अ./नि.भा.अ. को ग्रामीण स्वच्छता की समस्या से निपटने में अप्रभावी बनाती है जिसके परिणामस्वरूप एक बड़ा वित्तीय निवेश निष्फल सिद्ध होता है इसके कारण निर्माण की खराब गुणवत्ता, जल सुविधाओं तथा सततता की कमी, स्थिरता, वित्तीय तथा आचरण संबंधी बाध्यताएं प्रतीत होते हैं। मंत्रालय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए तथा शोधक कार्रवाई हेतु कारणों का पता लगाना चाहिए।

मंत्रालय ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया कि परिवारो के बर्ताव संबंधी परिवर्तन की कमी, सं.स्व.अ. की आरंभिक अवधियों के दौरान काफी कम प्रोत्साहन की वजह से निर्माण की खराब गुणवत्ता, इत्यादि कारणों से कुछ व्य.घ.शौ. वास्तव में निष्क्रिय हो गए।

3.2.1.2 अपूर्ण निर्माण

सात राज्यों के 19 चयनित जिलों में यह पाया गया था कि 6155 परिवारों को दिशानिर्देशों के उल्लंघन में वै.पा.शौ. के निर्माण से पहले ही ₹2.57 करोड़ के प्रोत्साहन दिए गए थे जिसका परिणाम निधियों के अनुपयोग तथा वै.पा.शौ. के अपूर्ण निर्माण में हुआ। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.7** में दिए गए है:

तालिका-3.7: अपूर्ण निर्माण तथा निधियों का अनुपयोग

क्र.सं.	राज्य	जिला	परिवारों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
1.	छत्तीसगढ़	4	259	94.00	वै.पा.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था
2.	हरियाणा	5	133	4.04	95 मामलों में व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था तथा 38 मामलों में वे अपूर्ण थे।
3.	कर्नाटक	4	27	1.10	व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया था/अपूर्ण थे।
4.	केरल	1	1,667	37.97	प्रोत्साहन अप्रयुक्त रहे।
5.	मेघालय	1	1,255	70.56	1,255 अपूर्ण व्य.घ.शौ. के रूप में निधियां अवरूद्ध रहीं।
6.	नागालैण्ड	2	43	1.16	43 परिवारों ने सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के अंतर्गत प्रदान की गई सामग्री का उपयोग नहीं किया था।
7.	राजस्थान	2	2,771	48.02	व्य.घ.शौ. का निर्माण नहीं किया गया तथा निधियाँ अप्रयुक्त रहीं।
	कुल	**19**	**6,155**	**256.85**	

[स्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

अंकलेश्वर तालूका,गुजरात की उछाली ग्रा.पं. के रमेशभाई माथुरभाई का व्य.घ.शौ.

पाओमाटा केन्द्र (सेनापति जिला) मणिपुर में ध्वस्त व्य.घ.शौ.

3.2.1.3 बाल्टी शौचालयों का स्वच्छ शौचालयों में गैर-परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्रों में बाल्टी शौचालयों का निर्माण अनुमत नहीं है। योजना दिशानिर्देश मौजूदा बाल्टी शौचालयों के स्वस्थ्य शौचालयों में परिवर्तन का प्रावधान करते हैं। जनगणना 2011 **(अनुबंध 3.3)** के अनुसार, ₹12.73 लाख परिवारों में अस्वच्छ शौचालय थे जहॉ मल को मानव (₹5.86 लाख) द्वारा हटाया जाता था, जानवरों (₹3.17लाख) द्वारा सफाई की जाती थी अथवा खुले नाले (₹3.70 लाख) में निपटान किया जाता था। तथापि, यह पाया गया था कि चार राज्यों (**आन्ध्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मणिपुर, तथा ओडिशा**) के चयनित जिलों में ऐसे अस्वच्छ बाल्टी शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित नहीं किया गया था। मणिपुर में संचार एवं क्षमता इकाई के पास राज्यों बाल्टी शौचालयों की मौजूदगी के संबंध में डाटा नहीं था जबकि शेष तीन राज्यों के विभागों ने अपने राज्य में अस्वच्छ शौचालयों की स्थिति का आकलन करने हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया था।

उत्तराखण्ड में, प.मा.ई. के अभिलेखों के अनुसार, राज्य में कुल 1242 अस्वच्छ शौचालय थे जिनमें से केवल 736 (59 प्रतिशत) को नवम्बर 2014 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तन कर दिया गया था।

3.2.1.4 ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा व्य.घ.शौ. का निर्माण

योजना दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि शौचालयों के निर्माण का जिम्मा स्वयं परिवार द्वारा उठाया जाना चाहिए तथा ठेकेदारों अथवा अन्य अभिकरणों/गै.स.सं. के माध्यम से परियोजना प्राधिकारियों द्वारा कराए गए निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। 10 राज्यों के 31 चयनित जिलों में फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹186.17 करोड़ के व्यय वाले 12.97 लाख व्य.घ.शौ. का निर्माण ठेकेदारों/गै.स.सं. इत्यादि को लगाकर कराया गया था। ब्यौरे नीचे **तालिका 3.8** में दिए गए हैं।

तालिका-3.8: ठेकेदारों/गै.स.सं. द्वारा निर्मित व्य.घ.शौ.

क्र.स.	राज्य	जिले	व्य.घ.शौ. की इकाईयां	राशि (₹ लाख में)
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	1,313	33.76
2.	बिहार	10	1026535	17016.00
3.	गुजरात	2	2055	52.11
4.	कर्नाटक	2	NA	27.75*
5.	महाराष्ट्र	1	51	0.97
6.	मणिपुर	1	174	5.00
7.	ओडिशा	8	207390	उ.न.
8.	राजस्थान	4	59,585	1443.00
9.	तमिलनाडु	1	189	10.77
10.	पश्चिम बंगाल	1	60	27.20
	कुल	**31**	**1297352**	**18616.56**

(*64 चैको के माध्यम से अदा किया गया जिनमें इकाईयों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था)

[स्रोत:नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

मामला अध्ययन: बिहार

बिहार में व्य.घ.शौ. का निर्माण विभागीय रूप से/गै.स.सं., जिन्हे मुख्य रूप से सू.शि.सं. कार्यों, माँग सृजन करने तथा जि.ज.स्व.स. द्वारा स्वच्छता सुविधाओं के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु नियुक्त किया गया था। 2009-13 के दौरान नमूना जांच किए गए जिलों की जि.ज.स्व.स. ने 10.27 लाख शौचालयों का निर्माण किया तथा विभागीय अधिकारियों /गै.स.सं. को ₹170.16 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, गै.स.स. को अनुमानों की स्वीकृति के बिना एक मॉडल डिजाईन वाले निम्न लागत के शौचालयों के निर्माण हेतु कार्य आदेश जारी किए गए थे। इस प्रकार कार्य आदेश वै.पा.शौ. की गुणवत्ता आश्वासन को बिना ध्यान में रखे जारी किए गए थे।

3.2.1.5 अन्य कमियां

राज्यों में लेखापरीक्षा के दौरान, मांग के बिना हार्डवेयर खरीद, प्रोत्साहन का आंशिक भुगतान, प्रोत्साहन का गैर-संवितरण आदि जैसी विभिन्न अन्य कमियां भी पाई गईं । राज्य-वार ब्यौरे नीचे तालिका 3.9 में दिए गए हैं:

तालिका-3.9: व्य.घ.शौ.-अन्य कमियां

क्र.स.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	असम	₹3.31 करोंड़ की लागत पर खरीद की गई हार्डवेयर सामग्री की जिलों से किसी भी मांग के बिना रा.ज.स्व.मि. द्वारा सं.स्व.अ./नि.भा.य. के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु जिलों को आपूर्ति की गई थी (दिसम्बर 2013 से मई 2014)। परिणामस्वरूप, हार्डवेयर सामग्री जिलों के पास व्यर्थ पड़ी थी।

क्र.स.	राज्य	अभ्युक्ति
2.	गुजरात	16 लाभार्थियों के मामले में 1,200 का नगद प्रोत्साहन अदा करने के बजाय सरपंच ने नगद ₹840 अदा किए तथा 360 की शेष राशि की स्वच्छता किटों (जैसे टॉयलेट सीट, कनेक्टिंग पाईप तथा टाईलें) का संवितरण किया था।
3.	हिमाचल प्रदेश	दो ग्रा.पं. (बेहरल तथा शिला) में, ब्लाक से प्राप्त (अप्रैल 2012 तथा जून 2012) ₹3.67 लाख को लाभार्थियों द्वारा व्य.घ.शौ. के निर्माण के बावजूद अगस्त 2014 तक संवितरण नहीं किया गया था। संबंधित पंचायत सचिवों ने बताया (जून 2014) कि लाभार्थियों द्वारा समय पर व्य.घ.शौ. का निर्माण न किए जाने के कारण प्रोत्साहन का संवितरण नहीं किया गया था।
4.	कर्नाटक	जि.पं. टुमकुर के अंतर्गत 101 ग्रा.पं. ने शौचालयों के निर्माण हेतु 2009-10 के दौरान ₹4.02 करोड़ की लागत पर सामग्रियों की खरीद की थी। जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों से निधियों/भण्डार के कथित दुरूपयोग के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर मु.का.अ., जि.पं., टुमकुर द्वारा जाँच-पडताल की गई थी (मई 2012)। समिति की रिपोर्ट के अनुसार ₹1.50 करोड़ की सामग्री लाभार्थियों को संवितरित की गई थी तथा ₹0.36 करोड़ की कीमत की सामग्री गायब पाई गई थी। ₹2.16 करोड़ के मूल्य की सामग्री धन के अवरोधन के रूप में अप्रयुक्त पड़ी थी। जि.पं. दावानेगेरे के अंतर्गत ग्रा.पं., कुनकोवा में ₹70,200 का भुगतान 17 अयोग्य लाभार्थियों को किया गया था जिनके फोटोग्राफ फर्जी परिवर्तित तथा झूठे थीं। जि.पं., टुमकुर के अंतर्गत ग्रा पं. ऊरूकेरे ने लाभार्थियों को पात्र प्रोत्साहन अदा किये जाने के बावजूद व्य.घ.शौ. हेतु गड्ढे खोदने के प्रति ₹2.43 लाख का परिहार्य व्यय किया।
5.	मेघालय	पश्चिम गारो हिल्स में लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु पूर्ण प्रोत्साहन अदा न करके था ₹5.16 करोड़ तक का भुगतान कम किया गया था। दो चयनित जिलों में, ₹8.98 करोड़ की मूल्य के सामान की खरीद सामान्य वित्तीय नियमावली का अनुपालन किए बिना की गई थी।
6.	तमिलनाडु	थिरूवन्नामलाई जिले में शौचालयों के निर्माण हेतु 26,317 परिवारों को ₹5.79 करोड़ (₹2,200 की दर से) का प्रोत्साहन अदा नहीं किया गया था।

3.2.2 सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सा.स्व.प.), जिसमें टॉयलेट सीटों, स्नान कक्षों, धुलाई प्लेटफार्मो, वाशबेसिन, इत्यादि की पर्याप्त संख्या शामिल हो, को ग्राम में सभी के लिए स्वीकार्य तथा सुगम स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे परिसरों का निर्माण राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (रा.यो.स्वी.स.) की स्वीकृति से केवल तभी किया जाना था जब ग्राम में पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु स्थान की कमी हो तथा समुदाय इसके प्रचालन तथा अनुरक्षण की जिम्मेदारी उठाए।

3.2.2.1 सा.स्व.प. का गैर अनुरक्षण

योजना दिशानिर्देशों में प्रावधान के बावजूद, बारह राज्यों में सा.स्व.प. का अनुरक्षण तथा रखरखाव उपयुक्त नहीं था तथा पानी की अनुपलब्धता लोगों द्वारा पहुँचने योग्य न होने अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति में होने इत्यादि के कारण सा.स्व.प. गैर-क्रियात्मक परिव्यक्त, रहे जिसका **अनुबंध 3.4** में ब्यौरा दिया गया है।

लाथी तालूका, अमरेली जिला, गुजरात का सा.स्व.प., नाना राजकोट ग्रा.पं.

जि.ज.स्व.मि. सेनापति, मणिपुर के अंतर्गत मायबा ग्राम में निर्धारित सुविधाओं के बिना सा.स्व.प.

3.2.2.2 अन्य कमियां

फील्ड लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि कुछ मामलों में सा.स्व.प. का निर्माण रा.यो.स्वी.स. की स्वीकृति प्राप्त किए बिना,

सामुदायिक अंशदान की वसूली बगैर किया गया था, अपूर्ण छोड़ दिया गया था अथवा योजना दिशानिर्देशों के उल्लंघन में निर्माण किया गया था। राज्य -वार अभ्युक्तियां नीचे तालिका-3.10 में दी गई है:

तालिका-3.10: सा.स्व.प.-अन्य कमियां

राज्य	अभ्युक्ति
गुजरात	सा.स्वा.प. का निर्माण रा.यो.मं.स. की स्वीकृत के बिना किया गया था।
झारखण्ड	जि.ज.स्व.मि., रॉची ने 39 सा.स्व.प. के निर्माण हेतु ग्रा.ज.स्व.स. को ₹56.49 लाख का अग्रिम दिया (जुलाई 2009 तथा मार्च 2012 के बीच)। मार्च 2014 तक, केवल 18 सा.स्व.प. पूर्ण हुए थे तथा शेष 21 सा.स्व.प. प्रथम अग्रिम प्रदान करने की तिथि से 25 से 57 महीनों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण थे। गर्वा जिले में, ₹0.38 करोड़[1] की लागत से 19 सा.स्व.प. का निर्माण विभिन्न उच्च विद्यालयों में किया गया था जो दिशानिर्देशों के प्रतिकूल था क्योंकि वह बड़े पैमाने पर समुदाय के उपयोग हेतु उपलब्ध नहीं थे।
जम्मू एवं कश्मीर	सामुदायिक अंशदान के रूप में देय ₹54.77 लाख के प्रति चयनित जिलों द्वारा केवल ₹14.73 लाख को वास्तव में बहियों में दर्ज किया गया था जिसका परिणामस्वरूप ₹40.04 लाख की राशि कम दर्ज की गयी।
कर्नाटक	जि.पं. टूमकूर के अंतर्गत ग्रा.पं. बेलादारा के अंतर्गत हनुमान गिरी ग्राम में ठेकेदार को ₹1.72 लाख के भुगतान के पश्चात अक्तूबर 2012 में सा.स्व.प. का निर्माण बीच में छोड़ दिया गया । 20 महीनों (जून 2014) के पश्चात भी ग्रा.पं. द्वारा ठेकेदार के विरूद्ध तथा कार्य दोबारा शुरू कराने/पूरा करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
केरल	अलथूर ब्लॉक पंचायत तथा भलमपुझा ब्लॉक पंचायत द्वारा सा.स्व.प. के निर्माण हेतु क्रमश: ₹9.00 लाख (अप्रैल-अक्तूबर 2012) तथा ₹1.80 लाख (अगस्त 2011) प्राप्त किए गये परंतु राशियों का उपयोग नहीं किया गया । ब्ला.पं. राशि के गैर-उपयोग हेतु कोई कारण प्रदान नहीं कर सके ।
मणिपुर	जि.ज.स्व.मि. (सेनापति) में, 19 सा.स्व.प. का निर्माण रा.यो.स्वी.स. की स्वीकृति के बिना तथा सामुदायिक अंश प्राप्त किये बिना किया गया ।

[1] एक सा.स्व.प. के ₹1.99 लाख के अनुमानित मूल्य के आधार पर परिकलित

मिजोरम	जि.ज.स्व.स. ने स्वीकृत राज्य वा.का.यो. से बाहर महिला स्वाच्छता परिसर (म.स्व.प.) की 62 इकाईयों का निर्माण किया तथा सा.स्व.प. हेतु आबंटित निधियों में से ₹10.38 लाख का व्यय किया। म.स्व.प. का निर्माण न तो जिला प.का.यो. में शामिल था और न ही रा.यो.स्वी.स./राज्य.यो.स्वी.स; द्वारा स्वीकृत किया गया।
राजस्थान	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चार सा.स.प. का निर्माण योजना प्रावधानों के विपरित किया गया था।

सा.स्व.प. इसके अनुरक्षण हेतु गैर-प्रावधान के कारण सा.स्व.प. उपयोग में नही थे, ग्रा.पं. नेर चौक; ब्लॉक: बल्ह, तथा जिला: मण्डी; हिमाचल प्रदेश

जि.ज.स्व.मि. कांग्योक्यी, मणिपुर के अंतर्गत संदगशेन्बा मारिंग ग्राम में निर्धारित सुविधाओं के बिना सा.स्व.प.

3.2.3 विद्यालय के शौचालय

ग्रामीण विद्यालय स्वच्छता ग्रामीण लोगों द्वारा स्वच्छता को विस्तृत रूप से अपनाने हेतु एक प्रवेश मार्ग है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में दो शौचालय इकाईयों, लड़कों एंव लडकियों हेतु एक/एक, का निर्माण किया जाना था। योजना दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक शौचालय की लागत के प्रति ₹20,000 (दिसम्बर 2007) की सहायता का प्रावधान था जिसे बाद में संशोधित कर 35,000 (जून 2010) तक कर दिया गया था, का प्रावधान करती है।

सांगे, दिरांग, पश्चिम कामेंग जिले में बिगड़ी हुई स्थिति में विद्यालय का शौचालय

वांगहू, सिंगचंग ब्लॉक, पश्चिम कामेंग जिले में बिगड़ी हुई स्थिति में विद्यालय का शौचालय

3.2.3.1 निर्माण में अनियमितताएं

लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि विभिन्न विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण बिना मॉडल डिजाईन अपनाये/स्वीकृत प.का.यो. से बाहर किया गया था अथवा वे अपूर्ण रहे। पांच राज्यों के चयनित

जिलों में पाई गई कमियों का ब्यौरा नीचे **तालिका -3.11** में दिया गया है:

तालिका-3.11: विद्यालय के शौचालय

क्र.सं.	राज्य	जिला	शौचालय	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	अरूणाचल प्रदेश	1	384	76.80	मॉडल ड्राईग/डिजाईन का अनुसरण किए बिना विद्यालय के शौचालयों का निर्माण
		1	38	12.97	सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत शौचालयों की संख्या से अधिक शौचालयों का निर्माण
2.	हरियाणा	3	28	9.08	विद्यालयों के शौचलयों का निर्माण आरम्भ नहीं किया गया अथवा अपूर्ण थे।
3.	केरल	1	39	5.95	निधियाँ अप्रयुक्त रहीं तथा विद्यालयों के शौचालय अपूर्ण रहे।
4.	मिजोरम	2	51	19.64	विद्यालयों के शौचालयों का निर्माण स्वीकृत प.का.यो से बाहर होने से अनियमित था।
5.	राज्स्थान	1	66	9.90	शौचालयों के निर्माण में विलम्ब, से अधिक परिहार्य हुआ।
	कुल	**9**	**606**	**134.34**	

[स्त्रोत: नमूना परियोजना जिलों के अभिलेखों से संकलित डाटा]

3.2.3.2 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों[2] में विद्यालय शौचालयों का निर्माण विद्यालय में पढ़ रहे छात्रों की संख्या की आवश्यकता के अनुसार नहीं किया गया था। **केरल** तथा **महाराष्ट्र** में विद्यालय के

[2] आन्ध्र प्रदेश (करीमनगर), बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

शौचालयों की कमी पाई गई तथा **कर्नाटक** और **पंजाब** में खराब गुणवत्ता के शौचालयों का निर्माण किया गया था। विद्यालय के शौचालयों के निर्माण तथा अनुरक्षण में अन्य अनियमितताएँ 17 राज्यों में भी पाई गई थीं जैसा **अनुबंध -3.5** में दिया गया है।

3.2.4 आंगनवाड़ी शौचालय

बच्चे नए विचारों के प्रति अधिक ग्रहणशील होते है तथा आंगनवाड़ी केन्द्र (आं.के.) खुले शौच के प्रति बच्चों के व्यवहार, मानसिकताओं तथा आदतों को बदलने हेतु उपयुक्त संस्थान हैं। इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगनवाड़ी में शिशु अनुकूल शौचालय (शि.अ.शौ.) हेतु प्रावधान किया गया था। आंगनवाड़ी शौचालय की इकाई लागत को ₹5,000 (अप्रैल 2006) से संशोधित कर ₹8,000 (अप्रैल 2012) कर संशोधित कर दिया गया था।

खामलंग ग्रा.पं., नामपौंग ब्लॉक, चांगलांग जिला अरूणाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी शौचालय

अडोल ग्रा.पं; अंकलेश्वर तालुका, भरूच जिला, गुजरात में आंगनवाड़ी शौचालय

3.2.4.1 वित्तीय अनियमितताएं

तीन राज्यों में, आवश्यकता से अधिक शौचालयों का निर्माण, प्रोत्साहन का अधिक आवंटन, निधियों के विपथन आदि जैसी वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थीं जैसा नीचे **तालिका -3.12** में ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-3.12: आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण

क्र.सं.	राज्य	अभ्युक्ति	राशि (₹ लाख में)
1.	**अरूणाचल प्रदेश**	चांगलंग जिले में, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा ₹9.75 लाख (₹5000 प्रति इकाई) की लागत से आंगनवाड़ी शौचालयों की 195 अधिक इकाईयों का निर्माण किया गया।	9.75
		पश्चिम सियांग जिले में, स्वीकृत 2 शौचालयों के प्रति कार्यान्वयन अभिकरण ने 44 इकाईयों (₹5000 प्रति इकाई की दर से 2008-09 के दौरान 20 इकाईयां तथा ₹10,000 प्रति इकाई की दर से 2009-10 से 2013-	3.17

		14 तक 24 इकाईयों) का निर्माण किया। इस प्रकार, ₹3.17 लाख का व्यय अप्राधिकृत था।	
		भौतिक रूप से निरीक्षण किए गए 12 आंगनवाड़ी शौचालयों में से 10 इकाईयां निष्क्रिय पाई गई जिसके परिणामस्वरूप ₹50000 प्रति इकाई की दर से ₹50000 का व्यय व्यर्थ रहा।	0.50
2.	**मिजोरम**	रा.यो.स्वी.स. ने ₹0.72 करोड़ के परिव्यय सहित आं.के. हेतु 718 शौचालयों का निर्माण स्वीकृत किया जिसमें से ₹0.50 करोड़ की राशि का उपयोग 504 मौजूदा शौचालयों की मरम्मत पर किया गया।	50.00
3.	**राजस्थान**	20 ब्लॉकों को ग्रा.पं. को अंतरित ₹1.37 करोड़ की राशि एक से छः वर्षों की अवधियों हेतु अप्रयुक्त रही क्योंकि जि.ज.स्व.स. सीकर, भीलवाड़ा, करौली तथा श्रीगंगानगर द्वारा संस्वीकृतियाँ जारी किए जाने के बावजूद ग्रा.पं. शि.अ.शौ. का निर्माण करने में विफल रही।	137.03
		जि.ज.स्व.स. उदयपुर ने ₹5000 प्रत्येक की दर से 189 शि.अ.शौ. (16 सितम्बर 2007 को खेरवाड़ा ब्लॉक-114 तथा 28 मार्च 2006 को सालूम्बर ब्लॉक -75) के निर्माण हेतु ₹9.45 लाख की संस्वीकृयाँ जारी कीं। जबकि शौचालयों का निर्माण नहीं किया गया फिर भी निर्माण की दर को जून 2010 में बढ़ाकर ₹8000 प्रति शौचालय कर दिया गया था। इस प्रकार ₹8000 प्रति शौचालय की संवर्धित दर पर ₹0.15 करोड़ की संशोधित संस्वीकृतियाँ खेरवाड़ा ब्लॉक में 111 शौचालयों तथा सालूम्बर ब्लॉक में 75 शौचालय हेतु जारी की गई थी। आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालयों के निर्माण में विलम्ब के कारण ₹5.58 लाख का अधिक परिहार्य व्यय हुआ।	5.58
		कुल	**206.03**

3.2.4.2 अन्य अनियमितताएं

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया था कि शिशु अनुकूल शौचालयों (शि.अ.शौ.) का निर्माण कई राज्यों में नहीं किया गया था तथा कुछ राज्यों में निजी भवनों से चलाई जा रही आंगनवाड़ियों को योजना के

अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु लक्षित लक्ष्य नहीं किया गया। राज्य विशिष्ट अभ्युक्तियां **अनुबंध 3.6** में दी गई हैं।

3.2.5 ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.त.अ.प्र.) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु परिवारों की संख्या के आधार एक ग्राम पंचायत हेतु निर्धारित वित्तीय सहायता के साथ प्रत्येक ग्रा.पं. के लिए ठो.त.अ.प्र. को परियोजना मोड़ में शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्रा.पं.के स्थाई ठो.त.अ.प्र. परियोजनाएँ कार्यान्वित करने में समर्थ बनाया जा सके। इस संघटक के अंतर्गत,

कम्पोस्ट पिट्स, वर्मी कम्पोस्टिंग, सामान्य एवं व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र, निम्न लागत निकासी, सोख्ता नाली/गड्ढे, व्यर्थ जल का पुन: उपयोग एवं घरेलू कूड़े को संग्रहण, पृथक्करण एवं निपटान हेतु प्रणाली आदि जैसे कार्य प्रारम्भ किए जा सकते थे। परियोजनाओं की राज्य.यो.स्वी.सं. द्वारा स्वीकृति की जानी थी।

3.2.5.1 प्रारम्भ न की गई ठो.त.अ.प्र. गतिविधियाँ

लेखापरीक्षा ने पाया कि पांच राज्यों (**अरूणाचल प्रदेश**, **जम्मू एवं कश्मीर**, **कर्नाटक**, **मेघालय तथा त्रिपुरा)** में, **आन्ध्र प्रदेश** तथा **झारखण्ड** के पाँच-पाँच जिलों तथा **मध्य प्रदेश** के 13 जिलों में ठो.त.अ.प्र. गतिविधियाँ प्रारम्भ नहीं की गई थीं। अन्य राज्यों में, लेखापरीक्षा ने कई विसंगतियां पाई जैसे कि अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का गैर-अनुरक्षण, अपूर्ण निर्माण कार्य इत्यादि । इन विसंगतियों का ब्यौरा **अनुबंध-3.7** में दिया गया है।

3.2.5.2 ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं में वित्तीय अनियमितताएं

इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठो.त.अ.प्र. अवसंचना के निर्माण में स्वीकृति के बिना व्यय करने, निधियों के विपथन आदि जैसी कुल ₹7.81 करोड़ की विभिन्न वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं थी जिनका ब्यौरा नीचे **तालिका-3.13** में दिया गया है:

तालिका-3.13: ठो.त.अ.प्र. का निर्माण

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	231.00	जि.ज.स्व.मि., चित्तूर ने भूमि की पहचान/अलगाव के बिना ₹2.31 करोड़ की कीमत के कूड़ेदानों तथा तिपहिया साईकिलों की खरीद की तथा जनवरी से मार्च 2014 के दौरान 184 ग्रा.पं. को इनकी आपूर्ति की।
2.	हिमाचल प्रदेश	1	50.23	जि.ग्रा.वि.अ. मंडी द्वारा 2009-14 के दौरान इस गतिविधि का कार्यान्वयन नहीं किया गया था तथा इस संघटक में से ₹50.23 लाख का उपयोग सू.शि.सं. कार्यों हेतु किया था।
3.	मिजोरम	2	74.46	दो जि.ज.स्व.स. के ठो.त.अ.प्र. के अंतर्गत ₹74.46 लाख के व्यय वाले कार्य राज्य.यो.स्वी.स. द्वारा स्वीकृत नहीं थे। जिलों के लिए ठो.त.अ.प्र. हेतु मुख्य योजना तैयार नहीं की गई थी।
4.	नागालैण्ड	2	2.30	2011-12 के दौरान जि.ज.स्व.मि. जूनेबोटो ने ठो.त.अ.प्र. संघटक से स्थापना के अधिकारियों एवं स्टाफ को मानदेय के भुगतान हेतु ₹0.80 लाख की राशि का विपथन किया था। इसीप्रकार, दीमापुर जिले में, जि.ज.स्व.मि. ने दरोगा पत्थर में सा.स्वा.प. के निर्माण हेतु ₹1.50 लाख की राशि का अपवर्तन (2011-12) किया।
5.	पंजाब	1	91.85	लुधियाना में, ₹35.20 लाख (केन्द्रीय अंश: ₹28.80 लाख, लाभार्थी अंश: ₹6.40 लाख) की ग्राहा राशि के प्रति ₹127.05 लाख का व्यय ठो.त.अ.प्र. कार्यों अर्थात् 28 तालाबों के नवीकरण, पर किया गया जिसके परिणाम

क्र.सं.	राज्य	जिला	राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
				स्वरूप अन्य संघटकों से निधियों का विपथन न करके ₹91.85 लाख का अधिक व्यय हुआ।
6.	राजस्थान	1	14.46	जि.ज.स्व.स., चूरू ने ग्रा.पं.लूनास (ब्लॉक तारानगर) में ठो.त.अ.प्र. कार्य हेतु ₹13.41 लाख संस्वीकृत किए (जुलाई 2013) परन्तु ग्रा.पं. को ₹15.00 लाख का अंतरण किया गया । ₹1.59 लाख की अधिक राशि को जून 2014 तक वसूली नहीं जा सकी थी। जि.ज.स्व.स., चुरू ने ब्लॉक राजगढ़ को ग्रा.पं. धनथल लेखू, भागेला तथा सूरतपुरा में ठो.त.अ.प्र. के अंतर्गत नाले के निर्माण हेतु ₹6.77 लाख (तथा ग्रा.पं. पहाड़सर, रामपुरा तथा कलन्ताल में के निर्माण हेतु ₹6.10 लाख) का अंतरण किया (अगस्त 2012) ग्रा.पं. ने न तो नालों का निर्माण किया और न ही राशियों को वापस किया।
7.	तमिलनाडु	5	316.94	₹316 लाख का व्यय कम्पोस्ट पिट्स, सोख्ता गढ्ढो, कूड़ेदान आदि जैसी व्यक्तिगत मदों पर किया गया था। ठो.त.अ.प्र. की किसी भी परियोजना की पूर्ण रूप में योजना नहीं की गई थी।
	कुल	**13**	**781.24**	

3.2.6 ग्रामीण स्वच्छता बाजार तथा उत्पादन केन्द्र

ग्रामीण स्वच्छता बाजार सहित सामाजिक उद्देश्य वाणिज्यिक उघम है। ग्रा.स्व.वा. का मुख्य लक्ष्य एक स्वच्छ वातावरण हेतु विभिन्न प्रकार के शौचालयों के निर्माण तथा स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, सेवाएं तथा मार्गदर्शन प्रदान करना है। उत्पादन केन्द्र (उ.के.) स्थानीय स्तर पर किफायती सस्ते स्वच्छता सामग्रियों का उत्पादन करने का साधन हैं। वे स्वतंत्र अथवा ग्रा.स्व.बा. का भाग हो सकते थे। उ.के./ग्रा.स्व.बा. को स्वयं सेवा समूह (स्व.से.स.)/महिला संगठन/

पंचायतों/गै.स.सं. आदि द्वारा खोला तथा संचालित किया जा सकता था। तथा अधिकतम ग्राहा ब्याज मुक्त ऋण ₹3.50 लाख प्रति ग्रा.स्व.बा./उ.के. था तथा इसे प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात 12-18 किश्तों में वसूला जाना था।

3.2.6.1 प्रारम्भ न किए गए ग्रा.स्व.बा. कार्य

लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 राज्यों[3] के चयनित जिलों में ग्रा.स्व.बा. तथा उ.के. नहीं खोले गए थे।

उत्तराखण्ड में, अल्मोड़ा, देहरादून, पौढी तथा यू.एस. नगर में ग्रा.स्व.बा. तथा उ.के. की स्थापना हेतु ₹5.65 लाख जारी किए गए थे। छः केन्द्रों के लक्ष्य के प्रति देहरादून में केवल एक केन्द्र स्थापित किया गया था वह भी लेखापरीक्षा (जून 2014) किये जाने के समय प्रचलन में नहीं था। शेष जिलों में बजट जारी करने के बावजूद कोई ग्रा.स्व.बा./उ.के. की स्थापना नहीं की गई थी। इसके बावजूद जारी की गई राशि को 18 महीनों से 4 वर्षों तक के विलम्ब से वसूला गया ।

3.2.6.2 ग्रा.स्व.बा. परियोजनाओं में अनियमितताएं

छः राज्यों के 21 चयनित जिलों में, ग्रा.स्व.बा./उ.के. को खोलने हेतु ₹1.38 करोड़ का ऋण अदा किया गया था परंतु ₹1.20 करोड़ की राशी वसूली नहीं जा सकी थी जैसा नीचे **तालिका-3.14** में ब्यौरा दिया गया है:

[3] आन्ध्र प्रदेश, (करीमनगर एवं श्रीकाकूलम के अतिरिक्त), अरूणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा हिमाचल प्रदेश,जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर (सेनापति जिला), मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा त्रिपुरा

तालिका-3.14: ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र

क्र.सं.	राज्य	जिला	दी गई राशि (₹ लाख में)	वसूली न गई राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
1.	असम	3	23.68	23.68	जिला तिनसुखिया, गोलपारा तथा उदलगुड़ी में 2008-09 से ग्रा.स्वा.बा./उ.के निष्क्रिय हो गए तथा ₹23.68 लाख की राशि वसूल नहीं की जा सकीं।
2.	गुजरात	4	21.90	20.30	नमूना जांच किए गए जिलों में 41 ग्रा.स्व.बा. की स्थापना हेतु विभिन्न स्व.से.स./गै.स.सं. को ₹21.90 लाख के ऋण का संवितरण किया गया था। जिसमें से ₹1.60 लाख की मार्च 2014 तक वसूली की गई थी तथा शेष ₹20.30 लाख की राशि वसूली हेतु बकाया थी। किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों ग्रा.स्व.बा. में चालू नहीं थे।
3.	मध्य प्रदेश	4	16.50	14.25	अनूपपुर, देवास, सागर, तथा शाहडोल के जि.ज.स्व.मि. में 16 ग्रा.स्व.बा.. की स्थापना करने हेतु स्व.से.स. को ऋण के रूप में ₹16.50 लाख प्रदान किए गए थे। इनमें से केवल एक ग्रा.स्व.बा. (शक्ति स्व.से.स., टोकखुर्द, जिला देवास) क्रियात्मक (अगस्त 2014) था तथा दो[4] ग्रा.स्व.बा. ने ऋण की संस्वीकृति की तिथि से नौ वर्षों के पश्चात ₹2.25 लाख वापस किए। शेष 14.25 लाख वसूली हेतु लंबित थे (अगस्त 2014)।
4.	ओडिशा	1	5.00	0.33	जि.ज.स्व.मि. कोरापूट ने ग्रा.स्व.ब. की स्थापना हेतु ₹3.50 लाख की अधिकतम स्वीकार्य राशि के प्रति

[4] शक्ति स्व.से.स. ने प्राप्त ₹50,000 में से ₹25,000 का पुनर्भुगतान किया तथा गंगा स्व.से.सं. ब्यूहारी शाहडोल ने ऋण प्राप्त करने के नौ वर्षों के पश्चात ₹2.00 लाख का पुनर्भुगतान किया।

क्र.सं.	राज्य	जिला	दी गई राशि (₹ लाख में)	वसूली न गई राशि (₹ लाख में)	अभ्युक्तियां
					सेमलीगूढ में एक स्व.से.स. को मई 2013 में ₹5.00 लाख का ऋण जारी किया। स्व.से.स. ने ग्रा.स्व.बा. की स्थापना नहीं की तथा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के पश्चात जून 2014 में इसके प्रति ₹0.33 लाख बकाया छोड़ते हुए 4.67 लाख वापस किया।
5.	तमिलनाडु	4	21.00	11.80	ग्रा.स्व.बा./उ.के. की स्थापना हेतु स्व.से.स./गै.स.सं. को दिया गया ऋण पांच वर्षों से अधिक के बीत जाने के पश्चात भी वसूला नहीं गया था तथा ग्रा.स्व.बा./उ.के. गैर अप्रचलित हो गए।
6.	उत्तर प्रदेश	5	49.74	49.74	पांच नमूना जांच किए गए जिलों को ग्रा.स्व.बा./उ.के. हेतु ₹49.74 लाख के ऋण प्रदान किए गए थे जिन्हें वसूला नहीं जा सका था।
	कुल	**21**	**137.82**	**120.10**	

केस अध्ययन : पश्चिम बंगाल-ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केन्द्र

नन्दीग्राम पंचायत समिति (पं.स.) ने मोहम्मदपुर, हरीपुर तथा गोकुलनगर ग्रा.पं. में 500 व्य.घ.शौ. के निर्माण हेतु ग्रा.स्व.बा. को ₹1.60 लाख अदा किए। पं.स. ने ग्रा.स्व.बा. को न तो कोई कार्य आदेश दिया और न ही किसी लाभार्थी सूची की आपूर्ति की।

पांच चयनित जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा यह पाया गया था कि ग्रा.स्व.बा. को व्य.घ.शौ., विद्यालय के शौचालयों, आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ सू.शि.सं. कार्यों हेतु लगाया गया था न कि दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न प्रकार के शौचघरों के निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री, सेवाएं तथा मार्गदर्शन आदि प्रदान करने के लिए किया गया था। इस प्रकार, व्य.घ.शौ. के निर्माण में ग्रा.स्व.बा. की संलग्नता दिशानिर्देशों के उल्लंघन में थी।

3.2.7 परिक्रामी निधि

योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उत्पादन केन्द्रों (उ.के.)/ग्रामीण स्वच्छता बाजारों (गार.स्वा.ग.) की स्थपना करने के लिए गै.स.सं/ स्वं.से.स./महिला संगठनों/पंचायतों को निधियां प्रदान करने के लिए एक परिक्रामी निधि का सृजन किया जाना है। अधिकतम ग्रास ब्याज मुक्त ऋण ₹3.50 लाख प्रति ग्रा.स्व.बा./उ.के. था तथा ऋण प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के पश्चात 12-18 किश्तों में इसकी वसूली की जानी थीं।

3.2.7.1 परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में कमियां

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 राज्यों[5] के चयनित जिलों तथा **राजस्थान** के पांच जिलों में परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था। परिक्रामी निधि के सृजन तथा संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थीं जिसका विवरण जैसा नीचे **तालिका 3.15** में दिया गया है:

तालिका-3.15: परिक्रामी निधि का संचालन

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	2012-14 के दौरान राज्य में जिलों को ₹1.20 करोड़ जारी किए गए थे। परंतु इसके संवितरण तथा अनुवर्ती वसूली की निगरानी करने हेतु कोई प्रणाली नहीं थी। आदिलाबाद मण्डल में, अगस्त-अक्टूबर 2013 के दौरान दो स्व.से.स. को व्य.घ.शौ के निर्माण हेतु 38 लाभार्थियों को आगे संवितरण करने के लिए ₹0.95 लाख प्रदान किए गए थे। अगस्त 2014 तक कोई वसूली नहीं की गई थी। ₹0.50 करोड़ की राशि जि.ज.स्व.मि. चित्तूर द्वारा जि.ग्रा.वि.अ. चित्तूर को जारी (मार्च 2013) की गई थी परंतु जि.ग्रा.वि.अ.

[5] अरूणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा,जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब तथा उत्तराखण्ड

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
		द्वारा निधियों के संवितरण/उपयोग के विवरण उपलब्ध नहीं थे। जि.ग्रा.वि.अ. विशाखापटनम तथा स.ज.अ.वि.प्रा. पदेरू को जारी ₹0.30 करोड़[6] दो वर्षों से अधिक से समायोजन हेतु बकाया थे।
2.	बिहार	किसी भी नमूना जांच किए गए जिलों में किसी भी सहकारी समितियों अथवा स्व.से.स., ग.रे.उ. के परिवारों तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के मालिक को निधियां प्रदान नहीं की गई थीं। तथापि, व्य.घ.शौ. तथा ठो.त.अ.प्र. के निर्माण हेतु 7 गै.स.सा., 24 ग्रा.पं. तथा चार सहायक अभियन्ताओं ₹0.83 करोड़[7] को प्रदान किए गए थे जिनमें से ₹0.74 करोड़ अगस्त 2014 तक वसूली किए बिना रहे।
3.	छत्तीसगढ़	केवल जि.ज.स्व.स., विलासपुर ने ₹0.03 करोड़ की परिक्रामी निधि का सृजन किया था तथा शेष 15 जि.ज.स्व.स. ने नवम्बर 2014 तक कुल ₹7.92 करोड़ की पारिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया था।
4.	गुजरात	2009-12 के दौरान पारिक्रामी निधि से खेड़ा जिला सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ लि. आनन्द को ₹0.50 करोड़ का संवितरण किया गया था जि.ग्रा.वि.स. तथा उधार लेने वालों के बीच कोई स.ज्ञा. निष्पादित नहीं किया गया था। य़द्यपि राशि को 12 से 18 महिनों में वसूला जाना था फिर भी कोई राशि वसूली नहीं गई थी (सितम्बर 2014)
5.	हिमाचल प्रदेश	तीन नमूना जांच किए गए जिलों में से दो (मण्डी तथा नाहन) में, 2007-10 के दौरान परिक्रामी निधि से स्व.से.स., महिला मण्डलों, आदि को कुल ₹0.60 करोड़ के ऋण (मण्डी: ₹0.16 करोड़ तथा नाहन: ₹0.44 करोड़) दिये गये थे। इनमें से, ₹0.44 करोड़ की वसूली की गई थी तथा 0.16 करोड़ (मण्डी: 0.12 करोड़ तथा नाहन4.30 लाख) अगस्त 2014 तक बकाया थे। जि.ग्रा.वि.अ. (मण्डी तथा नाहन) द्वारा 2010-14 के दौरान कोई भी ऋण संवितरित नहीं किया गया था तथा जि.ग्रा.वि.अ. हमीरपुर द्वारा अगस्त 2014 तक परिक्रामी निधि संचालित नहीं की गई थी।
6.	ओडिशा	नमूना जांच किए गए जिलों हेतु आवर्ती निधि के लिए ₹4.00 करोड़ संस्वीकृत किए गए थे परंतु आठ नमूना जांच किए गए जिलों में से सात[8] में मार्च 2014 तक इसका उपयोग नहीं किया गया था। तथापि, जि.ज.स्व.मि., कोरापुट ने व्य.घ.शौ. को बढ़ावा देने हेतु ₹50,000 प्रति स्व.से.स. की दर से 42 महिला स्व.से.स. को, उनकी साख केा सत्यापित किए बिना तथा कोई स.ज्ञा. किये बिना, जारी करने हेतु जिला मिशन शक्ति समन्वयक, कोरापुट को ₹0.21 करोड़ जारी (सितम्बर 2010) जारी किए। स्व.से.स. ने स्वीकृत

[6] जि.ग्रा.वि.अ., विशाखापत्तनम =25 लाख : स.ज.जा.वि.प्रो.अ,पंदेरू- ₹5 लाख

[7] भोजपुर: व्य.घ.शौ. हेतु चार गै.स.सं. को ₹16.50 लाख, पटना: ओ.त.अ.प्र.हेतु चार स.अ. को ₹6.90 लाख तथा पश्चमी चम्पारण: व्य.घ.शौ. हेतु 24 ग्रा.पं. को ₹60 लाख

[8] जि.ज.स्व.मि.,अंगूल, बारगढ़, जाजपुर, केन्द्रापाड़ा, मयूरभंज, पुरी तथा सुन्दरगढ़

क्र. स.	राज्य	अभ्युक्ति
		उद्देश्य हेतु निधि का उपयोग नहीं किया फिर भी उनसे राशियाँ वसूलने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिक्रामी निधि से प्रदान किए गए ₹0.21 करोड़ में से ₹0.19 करोड़ अगस्त 2014 तक बकाया रहे थे।
7.	तमिलनाडु	तिरूनेलवेली में 19 ब्लॉकों में वै.पा.शौ. के निर्माण हेतु ग.रे.उ. के 2124 परिवारों को 2009 से पहले ₹0.50 करोड़ के ऋण का संवितरण किया गया था। 27 नवम्बर 2012 तक ₹0.23 करोड़ बकाया था परंतु इसे दिसम्बर 2014 तक वसूला नहीं गया था।
8.	उत्तरप्रदेश	चार नमूना जांच किए जिलों (आजमगढ, देवरिया, गोरखपुर तथा कुशीनगर) को ₹10 लाख प्रत्येक की परिक्रामी निधि प्रदान की गई थी। परंतु जिलों ने राशि को परिकल्पना के अनुसार व्यय नहीं किया।
9.	पश्चिम बंगाल	कटवा-।। पं.स. ने अक्तूबर 2013 में ग्रा.स्वा.बा. को परिक्रामी निधि के रूप में ₹1.50 लाख की राशि जारी की परंतु इसे परिक्रामी निधि न मानकंर ग्रा.स्वा.बा. को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया था। इंगित किए जाने पर ₹0.40 लाख की वसूली की गई थी तथा ₹1.10 लाख की शेष राशि को अभी भी ग्रा.स्व.बा. से वसूल की जानी थी। सूती-।। पं.स. ने अक्तूबर 2013 से फरवरी 2014 तक दो कार्यरत ग्रा.स्व.बा./अतिररिक्त उत्पादन केन्द्रों (अ.उ.के.) को ₹1.20 करोड़ की अग्रिम का अदा किया था। इस अग्रिम में से, अगस्त 2014 तक ₹9.20 लाख का समायोजन किया गया था तथा शेष ₹1.10 करोड़ असमायोजित पड़े थे।

निष्कर्ष में, योजना का कार्यान्वयन तथा ग्रामीण स्वच्छता पर परिणामी प्रभाव प्रभावशाली नहीं है। योजना के कार्यान्वयन के बावजूद, ग्रामीण जनसंख्या का एक प्रमुख भाग उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। व्य.घ.शौ हेतु परिवारों का चयन ठीक नहीं था जो ग.रे.नी. तथा ग.रे.उ. परिवारों की कम कवरेज का कारण बना। कई मामले पाये गए जिनमें ₹186.17 करोड़ की लागत पर ₹12.97 लाख वै.पा.शौ. का निर्माण नि.भा.अ. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के प्रतिकूल ठेकेदारों/गै.स.स. को संलग्न करके कराया गया था। कुछ राज्यों में बाल्टी शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित नहीं किया गया था। कई राज्यों में निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण संरचना अथवा गैर-अनुरक्षण के

कारण अप्रचलित शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत से अधिक(कुल ₹71.86 लाख परिवारों में से 24.03 लाख) पाया गया था। ठो.त.अ.प्र. भी प्रारम्भ नहीं किए गए थे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में अस्वच्छता की संभावना बढ़ जाती है। 14 राज्यों परिक्रामी निधि का सृजन नहीं किया गया था जिससे स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण हेतु आवश्यक किफायती तथा सस्ती स्वच्छता-सामग्रियों से वंचित रहे। यह सभी तथ्य कार्यान्वयन में अदक्षता तथा परिणामस्वरूप अप्रभावीकारिताओं हेतु यह सभी विषय योजना के उद्देश्यों की अप्राप्ति की ओर इंगित करते हैं।

अनुशंसाएं

- **व्य.घ.शौ. संस्थागत, शौचालयों तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लक्ष्यों को एक समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने हेतु अधिक यथार्थ योजना, डाटा प्रमाणीकता तथा कड़ी मॉनीटरिंग को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।**
- **निष्क्रिय व्य.घ.शौ की बड़ी संख्या को ध्यान के मद्देनजर मंत्रालय को स्वच्छता आचरणों की आवधिक समीक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिसके पिछड़े हुए मामलों में सामयिक कार्यवाही की जा सके।**